

11.6.18
90

23/12/18

उपखण्ड अधिकारी, रामगढ़-शेखवाटी (सीकर)

लोक अदालत

पीठासीन अधिकारी

1. तहसीलदार रामगढ़-शेखवाटी को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अपनल दामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायी।
2. प्रार्थी श्री..... को सूचना दी।
3. स्थित पत्रावली।

क्रमांक :-
14-6-18
9649

उपखण्ड अधिकारी, रामगढ़-शेखवाटी (सीकर)

लोक अदालत

पीठासीन अधिकारी

आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	खता संख्या	ग्राम
शुद्ध प्रविष्टि 2014-15 100000	अशुद्ध प्रविष्टि 100000	61	खता संख्या

अपनल दामद के आदेश दिये जाते हैं:-

वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप में शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाये।
तहसील रामगढ़-शेखवाटी व जिला सीकर की जमाबन्दी सन्वत् 2074-77 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि के आधार पर राजस्व भू - राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में की रिपोर्ट की जाये।

:- आदेश :-

उपखण्ड अधिकारी, रामगढ़-शेखवाटी (सीकर)
लोक अदालत / कैम्प कोर्ट / कैम्प

राजस्थान सरकार